निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 173 / 2018

तारीख दायरा 15.09.2017

उनवान

1. उमेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सॉगोद जिला कोटा,
2. रोनक कुमार पुत्र राजेन्द्र पसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सॉगोद जिला कोटा नाबालिगान की वली माता श्रीमती सुमित्रा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सॉगोद जिला कोटा।
3. श्रीमती सुमित्रा पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सॉगोद जिला कोटा

—वादीगण

—बनाम—

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बजरंगलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सॉगोद जिला कोटा,
2. राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादी)

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील प्रतिवादी)

दिनॉक :— 10.11.2020

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 के पुत्र हैं। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 के मध्य पिता—पुत्र का खून का संबंध है। साबिक खसरा नंबर मि.22 रकबा 53 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 39 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर मि.44 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 45 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 54 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 व कुल 87 बीघा 15 बिस्वा आराजी हाल खसरा नंबर 56 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नंबर 106 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नंबर 106 / 237 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.36 हैक्टर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

खसरा नंबर 113 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर 114 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 115 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नंबर 135 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नंबर 136 रकबा 2.82 हैक्टर, खसरा नंबर 144 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नंबर 168 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नंबर 174 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नंबर 175 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 187 रकबा 1.51 हैक्टर कुल किता 15 की कुल 14.19 हैक्टर पैतृक आराजी माल ग्राम खोबदा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित है।

वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कं. 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है जो पक्षकारों को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है जो पूर्व में वादीगण के परदादा श्री हीरालाल के खाते में थी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पक्षकारों की पैत्तृक सम्पत्ति होने से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कं. 1 के नाम अंकित 1/2 हिस्सा आराजी में वादीगण को अपने पिता प्रतिवादी कं. 1 के साथ– साथ बांट बराबर के हक व अधिकार जन्मजात प्राप्त हैं तथा वादीगण प्रतिवादी कं. 1 के नाम 1/2 हिस्सा आराजी को अपने पिता प्रतिवादी कं. 1 के साथ मौके पर संयुक्त रूप से खेती भी करते चले आ रहे हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा आराजी में वादीगण का नाम अंकित नहीं होने व मात्र प्रतिवादी कं. 1 का ही नाम अंकित होने से प्रतिवादी कं. 1 सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा आराजी को खुर्दबुर्द, बैय फरोक्त करने को आमादा हैं जबकि कानूनन प्रतिवादी कं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा आराजी कानूनन वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 के संयुक्त मालिकाना हक व कब्जे की होने से वादीगण का भी प्रतिवादी कं. 1 के साथ बांट–बराबर का हक बनता है जिसे प्राप्त करने का वादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

चूंकि वादीगण नाबालिग हैं किन्तु बावजूद इसके प्रतिवादी कं. 1 स्वयं के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा आराजी को खुर्दबुर्द करने को आमादा हैं जिसके संबंध में वादीगण की वालिया द्वारा प्रतिवादी कं. 1 को काफी समझाया किन्तु वह नहीं माना व आराजी को खुर्दबुर्द करने की धमकी दिनॉक 05.09.2017 को दी जिसमें यदि प्रतिवादी कं. 1 सफल हो जाता है तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्[illegible]।

वादकारण दिनॉक 05.09.2017 को [illegible] कं. [illegible] के नाम अंकित सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा आराजी को खुर्दबुर्द करने [illegible] हुआ। राज्य सरकार भूमिधारी होने से जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद को प्रतिवादी [illegible] हैसियत से वाद में पक्षकार बनाया गया है।

अतः माल ग्राम खोबदा तहसील सॉगोद में स्थित वादग्रस्त 14.19 हैक्टर पैतृक आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रं. 1 के नाम अंकित 1/2 हिस्सा आराजी का वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 को बांट–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा इकबाली पेश कर दावा वादीगण स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की गई तथा उभय पक्षों ने अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। राजीनामा शामिल पत्रावली है। वादीगण की ओर से बैंक नोड्यूज पेश किये जाने पर राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया गया। ऐसी परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात, राजीनामा पक्षकारान व जवाबदावा इकबाली के मुताबिक दावा वादीगण डिक्री करना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम खोबदा तहसील सॉगोद स्थित खसरा नंबर 56 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 57 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नंबर 106 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नंबर 106/237 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नंबर 114 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 115 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नंबर 135 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नंबर 136 रकबा 2.82 हैक्टर, खसरा नंबर 144 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नंबर 168 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नंबर 174 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नंबर 175 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 187 रकबा 1.51 हैक्टर कुल किता 15 की कुल 14.19 हैक्टर पैतृक आराजी में प्रतिवादी क्रं. 1 के नाम अंकित 1/2 हिस्सा आराजी का वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रं. 1 को बांट–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

निर्णय आज दिनॉक 10.11.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:46 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद